फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

मिश्री पत्नी जमना लाल मीणा निवासी बृज की डूंगरिया

बनाम

मिठूलाल पिता जगन्नाथ मीणा, बृज की डूंगरिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.   मुकदमा नं. 248/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
12.04.2021	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम बृज की डूंगरी पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 33 रकबा 02.19 बीघा, आ.न. 14 रकबा 00.15 बीघा, आ.न. 15 रकबा 00.13 बीघा, आ.न. 31 रकबा 01.07 बीघा, आ.न. 32 रकबा 01.05 कुल किता 04 रकबा 04.00 बीघा, आ.न. 12 रकबा 00.15 बीघा, आ.न. 13 रकबा 00.13 बीघा, आ.न. 28 रकबा 01.19 बीघा, आ.न. 29 रकबा 01.00 बीघा कुल किता 04 रकबा 04.07 बीघा, आ.न. 16 रकबा 00.07 बीघा, आ.न. 18 रकबा 00.17 बीघा, कुल किता 02 रकबा 01.04 बीघा** स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा **ग्राम बृज की डूंगरी पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 33 रकबा 02.19 बीघा, आ. न. 14 रकबा 00.15 बीघा, आ.न. 15 रकबा 00.13 बीघा, आ.न. 31 रकबा 01.07 बीघा, आ.न. 32 रकबा 01.05 कुल किता 04 रकबा 04.00 बीघा, आ.न. 12 रकबा 00.15 बीघा, आ.न. 13 रकबा 00.13 बीघा, आ.न. 28 रकबा 01.19 बीघा, आ.न. 29 रकबा 01.00 बीघा कुल किता 04 रकबा 04.07 बीघा, आ.न. 16 रकबा 00.07 बीघा, आ.न. 18 रकबा 00.17 बीघा, कुल किता 02 रकबा 01.04 बीघा** की बसामतात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक **शक्करगढ** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 1500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रू. राजकोष मे जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner